which an amount of Rs. 1 crore has been earmarked during 8th Five Year Plan. National Minorities Finance & Development Corporation, which has been set up on 30.9.94 with a provision for Rs. 500 crores as authorised capital to provide loans at concessional rates of interest to minority communities, has been allocated a sum of Rs. 125 crores during the VIIIth Plan. For pre-examination coaching scheme for weaker sections (including from Minorities) based on economic criteria, an amount of Rs. 10 crores has been proposed during VIIIth Plan. The Deptt. of Education has been implementing the scheme of Modernisation of Madras Education, Community Poly-technics and Area Intensive Programme for educationally backward minorities. During the VIIIth Plan period, a sum of Rs. 1 crore, Rs. 30 crore and Rs. 16.27 crores have been earmarked under these schemes, respectively.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशें

1010. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान सरकार को कितनी-कितनी सिफारिशें भेजी गई हैं और इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) तथा (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 1992-93 की अपनी प्रथम रिपोर्ट दिनांक 15.2.1994 को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें 36 सिफारिशें हैं और इस रिपोर्ट को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए परिचालित कर दिया गया है। अनेक राज्य सरकारों तथा कुछ मंत्रालयों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। वर्ष 1993-94 को आयोग की दूसरी रिपोर्ट भी जुलाई, 1996 में प्राप्त हो गई है जिसे राज्य सरकारों एवं भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 की रिपोर्टें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

1011. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वे कारण क्या हैं जिनकी वजह से सरकार को एक नये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवलिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Muslim and Christians of Scheduled Caste Origin under SC/ST Category

1012. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the reason why persons belonging to religions other than Hinduism, Sikhism and Buddhism can not be deemed to be members of scheduled castes;

(b) whether it does not amount to discrimination on the basis of caste and violates the Constitutional provisions in this regard;

(c) whether Government will consider to include the Muslims and Christians of Scheduled caste origin under the SC/ST category; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) The criteria followed in deciding whether a community is eligible for inclusion in the list of Scheduled Castes are extreme social, educational and economic backwardness arising out of the traditional practice of untouchability.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Consideration of representations in respect of various communities/sections of society for inclusion, including those mentioned in the question, is a continuing process